इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 9001-2015 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 16 | अंक संख्या 5 | दिसम्बर, 2023 | पृष्ठों की संख्या - 10

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....3
विनियामक के कथन 4
आर्थिक संवेष्टन 5
नयी नियुक्तियाँ.....6
विदेशी मुद्रा.....6
शब्दावली.....7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां 7
संस्थान समाचार 8
नयी पहलकदमी 9
बाजार की खबरें 9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

अप्रतिभूत ऋण चिंता के स्रोत- भारतीय रिजर्व बैंक- भारांक बढ़ा

बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) द्वारा खैरात की भांति बांटे जा रहे अप्रतिभूत (unsecured) ऋणों की कील (spike) से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रतिभूत वैयक्तिक (Personal) ऋणों तथा क्रेडिट कार्डों पर ऋणों के लिए जोखिम भारांक (risk weighting) 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया है, जिसे नए एवं बकाया ऋणों, दोनों पर तात्कालिक आधार पर लागू किया गया है, इस वृद्धि के लिए बैंकों और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अप्रतिभूत ऋण देते समय अधिक निधियाँ अलग से (keep aside) रखना आवश्यक होगा।

जहां आवास ऋणों, वाहन ऋणों, शैक्षणिक ऋणों तथा सोना गिरवी रख कर लिए जाने वाले ऋणों को इस वृद्धि से अछूता रखा गया है, वहीं उच्चतर रेटिंग प्राप्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के लिए भी जोखिम भारांक 25 आधार अंक बढ़ा दिया गया है।

शेयर दलालों को सेबी के निर्देश: शर्तों एवं निबंधनों को सरल आरूप/फार्मेट में प्रकाशित करें

अभी तक शेयर दलालों को अपने ग्राहकों एवं निवेशकों को वृहदाकार (voluminous) दस्तावेज़ उपलब्ध करा कर अधिकारों और दायित्वों, नीतियों एवं कार्यविधियों, जोखिम प्रकटन प्रलेखों, मार्ग-दर्शन (guidance) नोटों, प्रशुल्क पत्रों (tariff sheets) आदि के बारे में शिक्षित करने की जरूरत होती है।

किसी दलाल और ग्राहक के बीच विश्वास को बढ़ाने के लिए इस विनिमय को अधिक सीवन-रहित बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शेयर दलालों से 1 जनवरी, 2024 तक **'अत्यंत महत्वपूर्ण शर्तें एवं निबंधन'** के रूप में नामित शर्तों एवं निबंधनों (terms and conditions) की एक संक्षिप्त (succinct) सूची प्रकाशित करने के लिए कहा है।

दलालों से इन निर्देशों को नये निवेशकों को 1 अप्रैल, 2024 से और मौजूदा निवेशकों को 1 जून, 2024 तक सूचित करने के लिए कहा गया है। निवेशकों तथा ग्राहकों को अत्यंत महत्वपूर्ण शर्तों एवं निबंधनों की अभिस्वीकृति/पावती भी देनी होगी।

सेबी ने निवेशकों की सहूलियत के लिए योजना से संबन्धित सूचना दस्तावेज़ आरूपों को आसान बनाया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने योजना से संबन्धित सूचना दस्तावेज़ (SID) आरूपों को नवीकृत करने के लिए कदम उठाए हैं। इन परिवर्तनों के अनुसार योजना की पोर्टफोलियो धारिताओं (जारीकर्ता द्वारा 10 शीर्ष धारिताओं (holdings) तथा विविध क्षेत्रों/सेक्टरों को निधि आबंटन) का प्रकटन करने हेतु एक कार्यात्मक वेब-लिंक उपलब्ध कराई जानी होगी। निधि प्रबन्धक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह आस्ति प्रबंधन कंपनी (AMC) के निदेशक मण्डल तथा अन्य मुख्य कार्मिकों द्वारा उस योजना में किए गए समग्र निवेश का प्रकटन करे। बेंचमार्क के जोखिम माप/रिस्क-ओ-मीटर के संबंध में प्रकटन को प्रारम्भिक प्रस्ताव आवेदन पत्र, योजना से संबन्धित सूचना दस्तावेज़ (SID), प्रमुख सूचना ज्ञापन (KIM) और सामान्य आवेदन पत्र के प्रारम्भिक पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा। जहां योजना से संबन्धित सूचना दस्तावेज़ का यह आरूप 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा, वहीं योजना से संबन्धित सूचना के मौजूदा (SID's existing) दस्तावेज़ के अद्यतन आरूप में संशोधन 31 मार्च, 2024 के दिन वाले आंकड़ों को लेकर 30 अप्रैल, 2024 तक किए जाने होंगे।

सेबी ने ऋणगत प्रतिभूतियों, स्थावर सम्पदा निवेश न्यास, मूलभूत सुविधा निवेश न्यासों में अदावी निधियों का दावा करना आसान बनाया

सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों, स्थावर संपदा निवेश न्यासों (REIT) और मूलभूत सुविधा निवेश न्यासों (InvIT) के पास अदावी पड़ी निवेशकों की निधियों का दावा करने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इस प्रक्रिया को अडचन-रहित बनाने हेतु एक ढांचा जारी किया है, जो 1 मार्च, 2024 से लागू होगा।

निवेशक अपनी अदावी निधियों का दावा करने हेतु सूचीबद्ध ऋणगत कंपनी/संस्था/ स्थावर संपदा निवेश न्यासों (REIT) और मूलभूत सुविधा निवेश न्यासों (InvIT) से संपर्क कर सकते हैं। निलंब (escrow) खाते में अंतरित किए जाने के बाद कोई भी ऐसी रकम जो सात वर्षों तक अदावी पड़ी रहती है, निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि (IEPF) में अंतरित कर दी जाएगी।

बीमा लोकपाल के पास प्रतिकर/क्षतिपूर्ति दावा 20 लाख रुपए बढ़ाया गया

वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसरण में बीमा लोकपाल (ombudsman) कार्यालय अब 50 लाख रुपए तक के दावों से संबन्धित शिकायतें स्वीकार कर सकते हैं। इसमें 30 लाख रुपए की पूर्ववर्ती सीमा से 20 लाख रुपए की वृद्धि की गई है।

यह परिवर्तन बीमा कंपनियों और उनके मध्यवर्तियों (intermediaries) अथवा बीमा दलालों के विरुद्ध पालिसी धारकों के परवादों का तेजी, किफ़ायती और उचित रीति से निवारण करने में सहायक होगा।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

बैंक निर्यात से प्राप्त होने वाली राशियों के लिए वास्त्रो खाते के अलावा चालू खाता खोल सकते हैं

निर्यातकों को अधिकाधिक परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष रुपया वास्त्रो खाते रखने वाले बैंकों को अनन्य रूप से उनके निर्यात लेनदेनों का निपटान करने हेतु अपने निर्यातक ग्राहकों के लिए एक अतिरिक्त विशेष चालू खाता खोलने की अनुमति दे दी है। आशा की जाती है कि इस परिवर्तन से भारत से निर्यात के जरिये वैश्विक निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा तथा भारतीय रुपए में वैश्विक व्यापार करने वाले समुदाय की बढ़ती रुचि को सहायता भी प्राप्त होगी। जुलाई, 2022 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निपटान भारतीय रुपए में किए जाने की अनुमति दिये जाने के बाद प्राधिकृत भारतीय बैंकों को विदेशी बैंक की भारतीय रुपए में धारिता रखने के लिए सहभागी व्यापारिक देश के बैंकों के विशेष रुपया वास्त्रो खाते खोलने होते हैं।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बेहतर व्यवसाय प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से संबन्धित अद्यतन निदेशों का पालन करना होगा

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 अप्रैल, 2024 से लागू किए जाने वाले अद्यतन निदेशों के अनुसार विनियमित संस्थाओ (REs) को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन (IT governance) एवं नियंत्रणों से संबन्धित व्यापक दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन में मुख्यत: रणनीतिक संरेखण (alignment), जोखिम प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, कार्य-निष्पादन प्रबंधन तथा व्यवसाय निरंतरता/संकट निवारण प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित रखा जाएगा। विनियमित संस्थाएं एक सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रबंधन ढांचा तथा एक प्रलेखित डेटा विस्थापन (migration) नीति लागू करेंगी। महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील सूचना तक पहुँच रखने वाले सभी सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों (applications) के संबंध में सिस्टम लागिंग सक्षमता (system logging capability) की व्यवस्था की जाएगी तथा उन्हें लेखा-परीक्षा ट्रेलों (trails) के साथ आवश्यक लेखा-परीक्षा करानी होगी। जहां तक डेटा गूढ़लेखन कला संबंधी (cryptographic) नियंत्रणों का संबंध है, प्रेषण चैनलों में और डेटा के संसाधन तथा प्रमाणीकरण के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त होने वाली कुंजी की लंबाई, कलनविधियों (algorithms), साइफर सूटों तथा प्रयोज्य संलेखों (protocols) का सुदृढ़ होना आवश्यक है।

विनियमित संस्थाओं की जोखिम प्रबंधन नीति में साइबर सुरक्षा से संबन्धित जोखिमों सहित सूचना प्रौद्योगिकी से संबन्धित जोखिमों का समावेश होना चाहिए। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (RMCB) द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार इनकी समीक्षा की जानी चाहिए तथा इनका, अद्यतन किया जाना चाहिए।

विनियामक के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर द्वारा वहनीय उधार के लिए जोखिम भारों का एक एहतियाती कदम निरूपित किया जाना

भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल परिसंघ (FICCI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित फिबैक (FIBAC) 2023 सम्मेलन में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि अप्रतिभूत उपभोक्ता ऋणों के लिए जोखिम भार (risk weight) बढ़ाने का शीर्ष बैंक का अभियान वहनीय उधार सुनिश्चित करने हेतु किया गया एक एहतियाती उपाय है।

उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच अंतर-संबद्धता बढ़ाने का परिणाम संक्रामक जोखिम के रूप में सामने आ सकता है, यही कारण है कि बैंकों को आवश्यक रूप से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रति अपने एक्सपोजर का स्थायी तौर पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी बैंक निधीयन पर अति-अवलंबित रहने की बजाय अपने निधीयन स्रोतों को व्यापक बनाना चाहिए। श्री दास ने ऋणदाताओं को विश्लेषण के माध्यम से मॉडल पर आधारित उधार देने की तुलना में पूर्व-निर्धारित कलनविधियों एवं माडेलों पर अत्यधिक निर्भर रहने के बारे में आगाह किया। उन्होंने सूक्ष्म वित्त ऋणदाताओं को इस उद्देश्य से प्रोत्साहित किया कि विवेकपूर्ण रीति से ब्याज दरें नियत करने के लिए उन्हें दिये गए लचीलेपन का उपयोग वे इस प्रकार करें कि वे पारदर्शी रहें और अतिब्याजी (usurious) न हों।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर: हमारी मौद्रिक नीति सक्रियता से अपस्फीतिकारी बनी हुई है, उसका उद्देश्य वृद्धि को बढ़ावा देना है

टोकियो में आयोजित एक संगोष्ठी (symposium) में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति सक्रियता से अपस्फीतिकारी (disinflationary)बनी हुई है तथा वह वृद्धि को समर्थन प्रदान करने वाली है। अंतर्निहित (inherent) गतिवाद तथा विवेकसंगत नीतिगत सम्मिश्र मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखते हुये वृद्धि को बढ़ावा दे रहे है। स्थूल-आर्थिक मूल तत्वों को सुदृढ़ रखने पर केन्द्रित नीति तथा निरंतर आधार वाले ढांचागत सुधारों ने भारत को वृद्धि के परिणामों की दृष्टि से पृथक कर रखा है। श्री दास ने यह भी बताया कि फिंटेक पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण किस प्रकार ग्राहक-केन्द्रित है। प्रभावी निगरानी (oversight), नैतिक आचरण और जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करते हुये तथा स्वयं फिंटेक कंपनियों द्वारा स्व-विनियामक संगठन (SRO) के माध्यम से स्व-विनियमन (self regulation) को प्रोत्साहित करते हुये ध्यान अच्छे अभिशासन पर केन्द्रित रखा जाता है।

वित्तीय संस्थाएं जलवायु परिवर्तन से निपटने में मुख्य भूमिका निभाती हैं: भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री माइकल देबब्रत पात्रा ने कहा है कि जहां कार्बन उत्सर्जन और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर उनके प्रतिकूल प्रभाव ऐसे कारक हैं जो तीव्र गति से अलग हो रहे हैं, वहीं सम्पूर्ण दसगुणन (decoupling) की प्राप्ति अभी तक शेष है। न्यू यार्क फेड केंद्रीय बैंकिंग संगोष्ठी में बोलते हुये श्री पात्रा ने कहा कि अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जागरूकता में वृद्धि हो रही है। केंद्रीय बैंकों और वित्तीय क्षेत्र के विनियामक एवं पर्यवेक्षक शीघ्र ही प्रमुख हितधारक (stakeholders) बन जाएंगे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन मूल्य और वित्तीय स्थिरता से संबन्धित उनके अधिदेशों की प्राप्ति को प्रभावित करते हैं। मानवता और ग्रह (planet) के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए वहनीय विकास एवं वैश्विक सहयोग आवश्यक होते हैं।

नवोन्मेष को समर्थन प्रदान करने के लिए विनियामक ढांचा आवश्यक रूप से पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम॰ राजेश्वर राव भारतीय वाणिज्य और उद्योग माडल परिसंघ (FICCI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे जिसके दौरान उन्होंने कहा कि विनियामक ढांचे को आवश्यक रूप से इस विधि से पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए कि वह नवोन्मेष को समर्थन प्रदान करे। आगामी एक दशक में बैंकिंग उद्योग में जो परिवर्तन होंगे उनके बारे में बोलते हुये श्री राव ने कहा कि प्रारम्भ में बैंक सेक्टर-वार दृष्टिकोण के स्थान पर पारिस्थितिकी तंत्र की ओर संक्रमण करेंगे। वे कोर बैंकिंग से परे कई एक अन्य सेवाएँ प्रदान करेंगे। सेवा के रूप में बैंकिंग (BaaS) मॉडल के स्थिर एवं मौन अतिक्रमण के परिणामस्वरूप बैंकों को आवश्यक रूप से उस अपेक्षाकृत विशाल पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) के एक भाग के रूप

में परिचालन करना होगा जिस संम्मिश्र में विविध बैंकेतर संस्थाओं का समावेश होगा। दूसरे, बैंकिंग अत्यधिक वैयक्तीकृत (hyper personalised) हो जाएगी जिसमें वह उन समस्त उत्पादों एवं सेवाओं में अंतर्निहित होगी जो ग्राहकों द्वारा प्राप्त किए/की जाते/जाती हैं, इस प्रकार पृथक्कीकृत (isolated) सेवा के प्रावधान अनावश्यक हो जाएंगे। तीसरे, ऋण उत्पाद विशिष्ट रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और सहस्त्राब्दिकों (millennials) जैसे समरूप (homogeneous) ग्राहक समूहों के लिए तैयार किए जाएंगे।

उन्होंने साइबर सुरक्षा को मजबूत किए जाने तथा उन साइबर धोखाधड़ियों को रोके जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जिनमें ग्राहकों को कपटपूर्ण ऐपों, निजता भंग तथा तकनीकी बैंकिंग परिवेश में डीपफेकों (deepfakes) से गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

उप गवर्नर एम॰ राजेश्वर राव द्वारा सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र के लिए विनियमन के महत्व पर बल

एक्सेलेन्स एनेबलर्स (Excellence Enablers) द्वारा मुंबई में आयोजित अभिशासन के द्वारपाल (Gatekeepers of Governance) सम्मेलन में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम॰ राजेश्वर राव ने वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता एवं वृद्धि सुनिश्चित करने में विनियमनों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। अविवेकी प्रचुरता (irrational exuberance) को रोकने तथा वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए विनियामक निगरानी अति आवश्यक होती है। श्री राव ने वित्तीय क्षेत्र को पुन: आकार देने वाले संरचनात्मक बदलावों के बारे मे बात की।

उन्होंने वित्तीय क्षेत्र पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में भी बात की। उनके मतानुसार बैंक से जमाराशि वापस लेने के लिए भगदड़ की गति (speed of Bank runs) तथा सोशल मीडिया के जरिये गलत सूचना के अत्यधिक तेजी से फैलने (misinformation spread superfast) की घटनायें ऐसी दुर्जेय (formidable) चुनौतियां हैं जिनके लिए निरंतर एवं प्रभावी पर्यवेक्षण (supervision) की आवश्यकता होती है।

अंत में उन्होंने सिद्धान्त पर आधारित और नियम पर आधारित विनियमन के बीच जारी बहस का भी उल्लेख किया। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के सिद्धान्त पर आधारित उन विनियमनों (regulations) की दिशा में क्रमिक रूप से प्रस्थान के बारे में चर्चा की, जिसमें वांछित परिणामों पर बल देते हुये लचीलेपन की व्यवस्था है।

आर्थिक संवेष्टन

अक्तूबर, 2023 के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी मासिक आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें

- वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अथवा स्थिर (2011-12) कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 की 2री तिमाही की तुलना में 2023-24 की 2री तिमाही में 7.6% की वृद्धि दर्शाता है।
- अक्तूबर, 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति (retail inflation) सितंबर, 2023 के 5% से थोड़ी घटकर 4.9% हो गई।
- अक्तूबर, 2023 के दौरान तिजारती (merchandise) निर्यात में 11 महीनों में सर्वोच्च वृद्धि दर्ज हुई।
- अक्तूबर, 2023 में सेवाओं के निर्यात में सुदृढ़ वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रही।
- सितंबर, 2023 में पीएमआई विनिर्माण (manufacturing) सुदृढ़ बना रहा, किन्तु सितंबर, 2023 के 57.5% के स्तर से घटकर अक्तूबर, 2023 में 55.5% रह गया।
- सितंबर, 2023 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में सितंबर, 2022 की तुलना में 5.8% की बढ़ोतरी हुई।
- 'इंडिया ई-कामर्स सूचकांक 2023' शीर्षक वाली यूनीकामर्स रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त वर्ष 23 में ई-काम के जरिये समग्र आदेश के परिमाण में 26.2% की विशाल (whooping) वृद्धि दर्ज हुई।
- जनवरी, 2022 से अक्तूबर, 2023 तक की अवधि के दौरान निफ्टी 50 सूचकांक में 12.1% की वापसी दर्ज हुई, इस प्रकार एक आघात-सह (resilient) भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन हुआ।

- अक्तूबर, 2023 में त्योहारों के समय उच्च मांग ने एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) लेनदेनों को 11 बिलियन से आगे पहुंचा दिया।
- वित्त वर्ष 24 के दौरान (नवंबर, 2023 तक) विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) में निवल धनात्मक अंतर्वाह (positive inflows) परिलक्षित हुये।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री मनोरंजन मिश्र	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ			विगत 6 महीनों की विदेशी मुद्रा का रुझान
मद	24 नवम्बर, 2023 के दिन करोड रुपए	24 नवम्बर, 2023 के दिन मिलियन अमरीकी डालर	
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	4985457	597935	
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4406784	528531	
1.2 सोना	386360	46338	
1.3 विशेष आहरण अधिकार	151898	18218	
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	40415	4848	

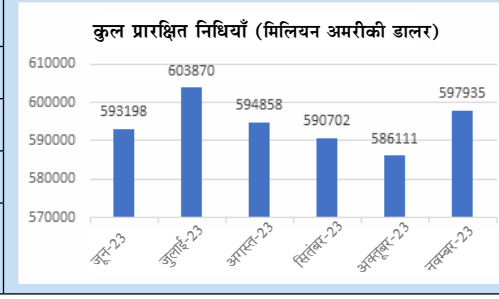

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

दिसम्बर, 2023 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	5.32
जीबीपी	5.1879
यूरो	3.903
जापानी येन	-0.021
कनाडाई डालर	5.0200
आस्ट्रेलियाई डालर	4.35
स्विस फ्रैंक	1.703549

मुद्रा	दरें
न्यूजीलैंड डालर	5.5
स्वीडिस क्रोन	3.895
सिंगापुर डालर	3.6549
हांगकांग डालर	4.79720
म्यांमार रुपया	3.00
डैनिश क्रोन	3.5300

स्रोत : www.fbil.org.in

शब्दावली

आईटीसी-एचएस कूट

आईटीसी-एचएस कूट जिसे इंडियन ट्रेड क्लैरीफिकेशन बेस्ड आन हार्मोनाइज्ड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, भारत में आयात-निर्यात परिचालनों के लिए अपनाया गया था। भारतीय सीमा-शुल्क (custom) राष्ट्रीय व्यापारिक आवश्यताओं के अनुरूप एक आठ अंकीय आईटीसी-एचएस कूट का इस्तेमाल करता है। ये कूट दो अनुसूचियों (schedules) में विभाजित किए गए हैं। आईटीसी (एचएस) आयात अनुसूची I में आयात नीति से संबन्धित नियम एवं दिशानिर्देश वर्णित हैं, जबकि अनुसूची II में निर्यात नीति से संबन्धित नियम और विनियम वर्णित हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

वित्तीय लीवरेज का स्तर

वित्तीय लीवरेज (leverage) का स्तर एक ऐसा वित्तीय अनुपात है जो किसी कंपनी की समग्र लाभप्रदता को उसके पूंजी विन्यास में परिवर्तनों से हुई उसकी परिचालनात्मक आय की अस्थिरता से मापता है। इसकी गणना प्रति शेयर अर्जन (EPS) में प्रतिशत परिवर्तन तथा ब्याज एवं कर-पूर्व अर्जन (EBIT) में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के रूप में की जाती है। वित्तीय लीवरेज का स्तर किसी कंपनी के वित्तीय जोखिम (कंपनी अपने परिचालनों का वित्तीयन किस प्रकार करती है, उससे जुड़े जोखिम) की मात्रा निर्धारित करने की एक पद्धति है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

दिसंबर, 2023 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थान
ऋण मूल्यांकन, निगरानी एवं वसूली पर कार्यक्रम	11 से 13 दिसंबर, 2023	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित खजाना व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	11 से 13 दिसंबर, 2023	
अपने ग्राहक को जानिए (KYC), धन-शोधन निवारण (AML) और आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला (CFT)	12 से 14 दिसंबर, 2023	
व्यापार पर आधारित धन-शोधन	13 से 14 दिसंबर, 2023	
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र हेतु परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	14 से 16 दिसंबर, 2023	
बैंकों में चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम	18 से 19 दिसंबर, 2023	
कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों पर संकेन्द्रण के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पर कार्यक्रम	18 से 20 दिसंबर, 2023	
बैंकों के आंतरिक लेखा-परीक्षकों पर कार्यक्रम	20 से 21 दिसंबर, 2023	
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं लघु वित्त बैंकों के लिए शेयर बाजार के उतार-चढ़ावों सहित एकीकृत खजाना प्रबन्धन पर कार्यक्रम	20 से 22 दिसंबर, 2023	

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ द्वारा अंतर-बैंक प्रश्नमंच प्रतियोगिता - बैंकिंग चाणक्य के 3रे संस्करण की शुरूआत की

अंतर-बैंक प्रश्नमंच प्रतियोगिता – बैंकिंग चाणक्य 2023 का 3रा संस्करण 25 सितंबर, 2023 से प्रारम्भ हुआ। ऑनलाइन प्रारम्भिक और उपांत-पूर्व (quarter-final) फेरी के समावेश वाले इस आयोजन का प्रथम चरण सितंबर- अक्तूबर, 23 माह के दौरान पूरा हो गया। प्रत्येक अंचल से सफल अर्हक (qualifier) अब इस आयोजन के दूसरे चरण में सहभागिता करेंगे, जिसमें अंचलीय उपांत फेरियों (semi-final) और राष्ट्रीय अंतिम फेरियों (final) का समावेश है, जिन्हें 23 दिसंबर और उसके बाद भौतिक विधि (physical mode) से आयोजित किया जाएगा। इसके संबंध में और अधिक अद्यतन जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट https://www.iibfbankingchanakya.com देखें।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने संयुक्त रूप से जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की शुरूआत की

संस्थान ने जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के साथ एक करार कर रखा है। उक्त पाठ्यक्रम की शुरूआत 23 मई, 2023 को सेंट रेगिस हाल, मुंबई में की गई। यह पाठ्यक्रम ई-शिक्षण (e-learning) के रूप में है जिसमें 4-6 घंटों के शिक्षण के उपरांत एक मूल्यांकन सत्र आयोजित किया जाता है। पाठ्यक्रम की सफल पूर्णाहुति पर इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए हीरक जयंती और सी॰ एच॰ भाभा बैंकिंग ओवरसीज शोध फ़ेलोशिप (DJCHBBORF) के लिए आवेदन आमंत्रित

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स हीरक जयंती और सी॰ एच॰ भाभा बैंकिंग ओवरसीज शोध फ़ेलोशिप (DJCHBBORF) योजना के तहत आवेदन आमंत्रित करता है। इस फ़ेलोशिप का उद्देश्य सफल अभ्यर्थी को बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में अद्यतन घटनाओं पर भारत अथवा विदेशों में शोध अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2024 है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

अक्तूबर- दिसंबर, 2023 तिमाही के लिए बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: Climate Risk and Sustainable Finance।

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान मेँ इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा मेँ कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे मेँ पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/ दिशानिर्देशों मेँ प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि मेँ कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) सस्थान द्वारा मार्च, 2023 से अगस्त, 2023 की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा सितंबर, 2023 से फरवरी, 2024 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध मेँ प्रश्नपत्रों मेँ समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र मेँ 30 जून, 2023 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

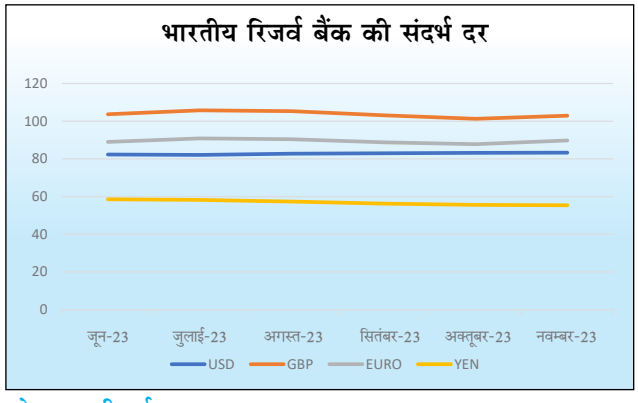

स्रोत: एफबीआईएल

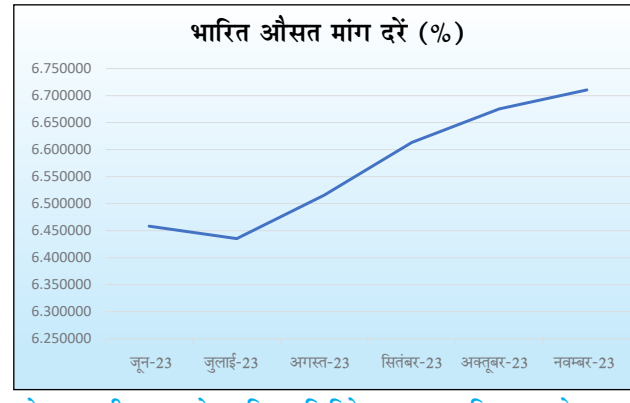

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

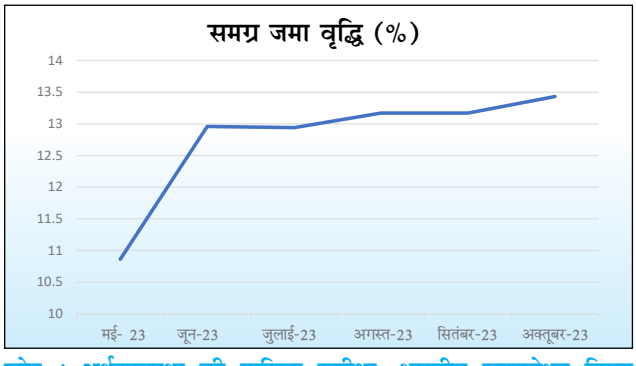

स्रोत : अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, नवम्बर, 2023

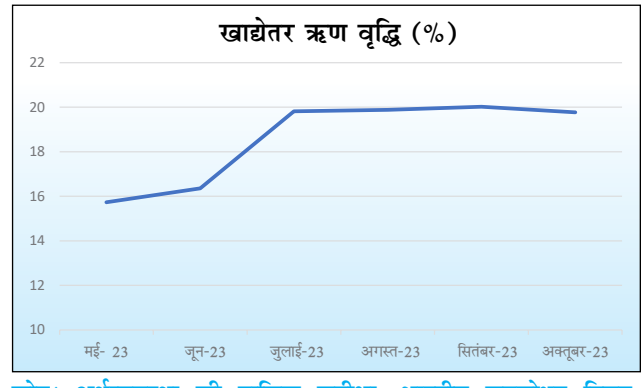

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, नवम्बर, 2023

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

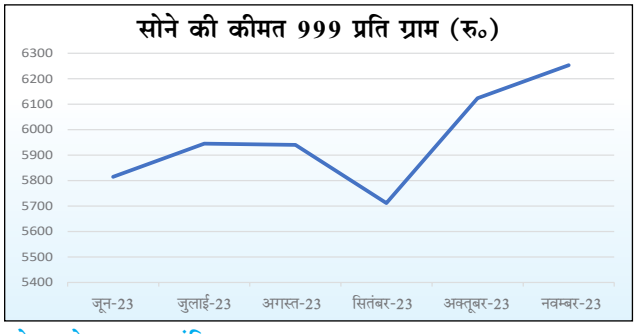

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

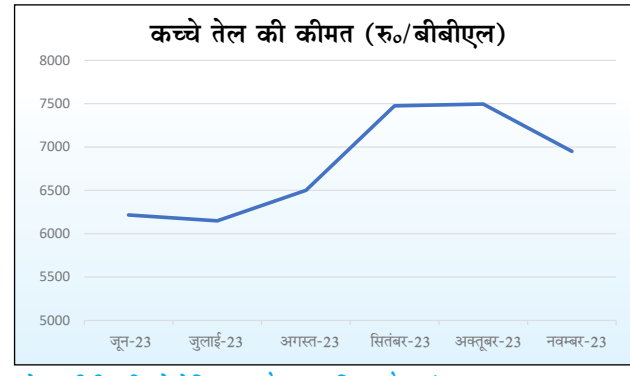

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

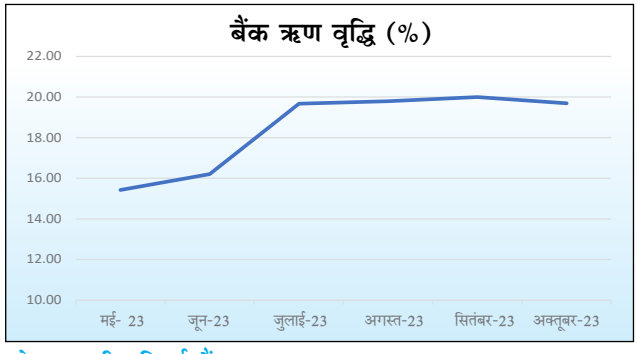

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

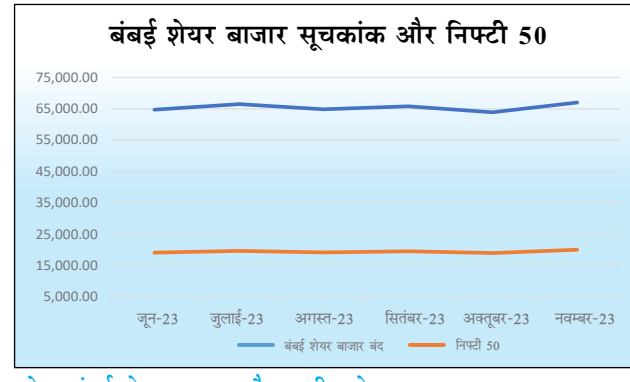

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in